तत्काल योजना के लिए वचन (अंडरटेकिंग)

(कृपया चुनें) नया ☐अथवा पुनःजारी करने ☐के लिए आवेदन करना है

तत्काल योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों को निम्नलिखित वचन (अंडरटेकिंग) भरकर जमा करना आवश्यक है:

- आवेदकों को पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) में प्रसंस्करण के लिए स्व-सत्यापित फोटोकॉपी की एक सेट के साथ मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को स्वीकार्य दस्तावेजों की नीचे दी गई सूची में निर्दिष्ट किन्हीं भी तीन दस्तावेजों को जमा करना होगा, साथ ही पता और गैर-ईसीआर प्रमाण (दस्तावेज़) जो भी लागू हो जमा करना होगा।
- 18 वर्ष से कम आयु के आवेदकों को स्वीकार्य दस्तावेजों की नीचे दी गई सूची में से निर्दिष्ट क्रम संख्या 1 से 6 में से किन्हीं दो दस्तावेजों को जमा करना होगा, साथ ही पता और गैर-ईसीआर प्रमाण (दस्तावेज़) जो भी लागू हो जमा करना होगा।

क. स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची:कृपया सुनिश्चित करें कि उल्लिखित विवरण (जैसे पूरा नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम आदि) सभी दस्तावेजों में समान हैं।(सत्यापित दस्तावेजों केई-संस्करण केवल तभी स्वीकार किए जाएंगे यदि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करने के समय डिजिलॉकर के माध्यम से पहले ही साझा किए जा चुके हैं।)

क्रमांक	दस्तावेज़	आवेदक/ माता या पिता (नाबालिग के मामले में) द्वारा अंकित (टिक) किया गया
1.	यूआईडीएआई द्वारा जारी किया गया - पीवीसी आधार कार्ड/ पूर्ण मूल आधारकार्ड/ ई-आधार कार्ड डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापित चिह्न के साथ अथवा आधार कार्ड (काटकर निकले हुए छोटे आधार कार्ड/ गैर-यूआईडीएआई संस्थाओं द्वारा मुद्रित स्मार्ट कार्ड स्वीकार नहीं किया जाएगा।)	
2.	*स्थायी खाता संख्या(पैन)	
3.	मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जारी छात्र फोटो पहचान पत्र	
4.	जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) के तहत जारी जन्म प्रमाण पत्र	
5.	राशन कार्ड (नवीनतम या अद्यतन)	
6.	जारी किया गया पिछला पासपोर्ट (केवल पुनः जारी करने के मामले में)	
7.	*मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी)	
8.	राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, यापब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र	
9.	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र	
10.	शस्त्र अधिनियम, 1959 (1959 का 54) के तहत जारी शस्त्र लाइसेंस	
11.	पेंशन दस्तावेज जैसे सेवानिवृत्त सैनिकों की पेंशन बुक या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को जारी किया गया पेंशन भुगतान आदेश, सेवानिवृत्त सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश	
12.	बैंक पासबुक या किसान पासबुक या पोस्ट ऑफिस पासबुक (आवेदक के फोटो के साथ सत्यापितऔर नवीनतम लेन-देन अद्यतन के साथ)	
13.	"ड्राइविंग लाइसेंस (वैध और आवेदक को प्रस्तुत करने के राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर)	

ख. पता प्रमाण: कृपया प्रस्तुत किए जा रहे पते के प्रमाण का उल्लेख करें। वयस्कों के मामले में, पता प्रमाण तारांकित (*) मामलों को छोड़कर आवेदक के नाम पर होना चाहिए। ऑनलाइन दस्तावेजों (**) के मामले में, आवेदकों सेस्रोत (उदाहरण:- ईमेल/मोबाइल फोन पर आधिकारिक ऐप)दिखाने के लिए कहा जा सकता है:

आधार कार्ड (जैसा कि ऊपर दी गई सूची में बताया गया है)		किराया समझौता	
*नाबालिगों के मामले में माता-पिता का पासपोर्ट (पहले और आखिरी पृष्ठ)		**बिजली का बिल	
**टेलीफोन (लैंडलाइन या पोस्टपेड मोबाइल बिल)		**पानी का बिल	
गैस कनेक्शन का प्रमाण		आयकर निर्धारण आदेश	
प्रतिष्ठित कंपनियों के नियोक्ता से उनकी कंपनी के पत्र-शीर्ष पर लिखे गए प्रमाण पत्र (केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनियां उपरोक्त सूची में उल्लिखित पते का प्रमाण अपने मुहर के साथ दे सकती हैं। कंप्यूटर से निकाले गए गए प्रिंट आउट पर विचार नहीं किया जाएगा।)		निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) (जैसा कि ऊपर दी गई सूची में बताया गया है)	
*जीवनसाथी की पासपोर्ट प्रति (पासपोर्ट के जीवनसाथी के रूप में आवेदक के नाम का उल्लेख करते हुए परिवार के विवरण सहित पहला और अंतिम पृष्ठ),(बशर्ते आवेदक का वर्तमान पता पति/पत्नी के पासपोर्ट में उल्लिखित पते से मेल खाता हो)		नवीनतम लेन-देन के अद्यतन के साथ चल रहे बैंक खाते की फोटो पासबुक (केवल अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अनुसूचित निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)	

ग. गैर-ईसीआर दस्तावेज़ का नाम:____

(गैर-ईसीआर श्रेणी के तहत पहली बार पूर्ण वैधता वाले पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले 15 से 50 वर्ष के बीच के आवेदकों के मामले में, कृपया सहायक मूल दस्तावेज जैसेमान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं और 12वीं प्रमाण पत्र या अंकपत्र अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री आदि निर्दिष्ट करें।

ईसीएनआर के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूरी सूची निम्नलिखित लिंक पर जाकर देखी जा सकती है: https://www.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/onlineHtml/NonEcrDocuments.html.)

<u>आवेदक द्वारा घोषणा:</u>

मैं समझता हूँ और सहमत हूँकि मैंने तत्काल योजना के तहत आवेदन किया है औरदस्तावेजों की अपर्याप्तता (कम/न) होने की स्थिति में मेरे आवेदन को रोका जा सकता है। ऐसे मामले में, मैं कार्यालय द्वारा दी गई बाद की तारीख में आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने के लिए सहमत हूँ। मैं यह भी मानताहूँ कि मैं उपर्युक्त अपात्र श्रेणियों से संबंधित नहीं हूँ। मैं इससे सहमत हूँ कि अगर मुझे बाद में इन अपात्र श्रेणियों से संबंधित पाया जाता है, तो मेरे आवेदन को उक्त श्रेणी के दिशानिर्देशों के अनुसार संसाधित (प्रोसेस्ड) किया जा सकता है। मैं सहमत हूँ कि जीओ/एपीओ/आरपीओ का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

आवेदक या माता-पिता(नाबालिग के मामले में) द्वारा हस्ताक्षरित:________________________________

आवेदक का नाम:________________________________

एआरएन:________________________________

पुराना पासपोर्ट नंबर (केवल पुनः जारी करने के मामले में):________________________________

कार्यालय द्वारा जाँचा जाना है

क्या पिछली पुलिस सत्यापन रिपोर्ट (पीवीआर) की स्थिति प्रतिकूल है?: हाँ या नहीं